न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी— एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या—10 / 2016

1. अमर सिंह पुत्र स्व. चैनाराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. बीरबल सिंह पुत्र स्व. चैनाराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3. जयसिंह पुत्र स्व. जुहाराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
4. नोरंग पुत्र स्व. गणपतराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
5. रामप्रताप पुत्र स्व. गणपतराम, जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
6. फूलाराम पुत्र स्व. रेखाराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

1. प्यारेलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र लादु जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. रघुवीर दत्तक पुत्र स्व. गोपालराम जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
3. भींवाराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
4. महावीर पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
5. सुभाष पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
6. ज्यानादेवी पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,हाल—दुलपुरा पोस्ट भूदा का बास तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
7. पतासी देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति जाट, निवासी सिरियासर खुर्द ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

8. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. राजस्थान ग्रामीण बैक जरिये शाखा प्रबंधक चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—5 मियाद अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री अशोक मांजू , एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट———————— रेस्पोडेंट नंबर 1 से 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निणर्य— दिनांक—06.07.2018

संक्षेप में प्रार्थना पत्र धारा— 5 मियाद अधिनियम के तथ्य इस प्रकार हैं कि — तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.06.1981 की आवेदकगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । अनावेदक नंबर 1 द्वारा आवेदकगण को गलत नामान्तरकरण के आधार पर उसके हिस्से से ज्यादा भूमि को विकय करने की धमकी देने पर आवेदकगण ने राजस्व रिकार्ड की चाराजोही की तो दिनांक 02.02.2016 को विवादित नामांतरकरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी दिनांक 02.02.2016 को नकल मिलने पर गलत नामांतरण की सम्पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद है। उक्त नामांतरण प्राराम्भ से ही अवैध व शून्य है, ऐसे नामान्तरकण को निरस्त करवाने के लिये कोई भी मियाद नहीं है। जानकारी होते ही अपील तुरन्त पेश की जा रही है। परन्तु किसी कारण से अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है तो धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत फरमाई जानी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को धारा 5 मियाद अधिनियमका लाभ दिया जाकर अपील अपीलांटस अन्दर मियाद समाहत फरमाई जावे ।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम अपील के साथ पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.06.1981 की आवेदकगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । अनावेदक नंबर 1 द्वारा आवेदकगण को गलत नामान्तरकरण के आधार पर उसके हिस्से से ज्यादा भूमि को विक्रय करने की धमकी देने पर आवेदकगण ने राजस्व रिकार्ड की चाराजोही की तो दिनांक 02.02.2016 को विवादित नामांतरकरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी दिनांक 02.02.2016 को नकल मिलने पर गलत नामांतरण की सम्पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद है। उक्त नामांतरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है, ऐसे नामान्तरकण को निरस्त करवाने के लिये कोई भी मियाद नहीं है। जानकारी होते ही अपील तुरन्त पेश की जा रही है। परन्तु किसी कारण से अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है तो धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत फरमाई जानी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को धारा 5 मियाद अधिनियमका लाभ दिया जाकर अपील अपीलांटस अन्दर मियाद समाहत फरमाई जावे ।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण नंबर 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा जाहिर किया कि रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में नामान्तरकरण वैध है। रेस्पोडेन्ट नंबर–1 ने जमीन विक्रय करने की धमकी अपीलांट को कभी नहीं दी। नामांतरकरण संख्या–62 दिनांक 05.06. 1981 की जानकारी अपीलांटस को पहले से है, क्योंकि अपीलांट्स नंबर 1 से 5 ने उत्तराधिकार में समय समय पर विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण दर्ज करवाये और राजस्व रिकार्ड में अपना अपना नाम दर्ज करवाया। अपील मियाद बाहर है। अपील के लिये मियाद आदेश के रोज से 30 दिन है । गणपत के देहान्त हो जाने पर अपीलांटस नंबर 4 व

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

5 श्रीमती ज्ञानीदेवी ने उत्तराधिकार में नामान्तरकरण दिनांक 24.06.1998 को दर्जकरवाया। चैनाराम के देहान्त हो जाने पर अपीलांटस नंबर 1 व 2 ने दिनांक 28.06.1991 में नामांतरकरण दर्ज करवाया। गणपत के देहान्त हो जाने पर उत्तराधिकार में अपीलांटस नोरंगसिंह, रामप्रताप व श्रीमती ज्ञानीदेवी ने दिनांक 01.5.1993 को नामान्तरकरण दर्ज करवाया व जवाहरा के देहान्त हो जाने पर अपीलांट जयसिंह ने दिनांक 25.6.1998 को उत्तराधिकार में नामांतरकरण दर्ज कराया व इन नामांतरकरणों से पहले से राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट नंबर–1 प्यारेलाल की सह खातेदारी दर्ज थी। इस प्रकार रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 के हक में नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को उक्तानुसार बहुतपहले से थी और जानबूझकर अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की । धमकी देने का तथ्य गलत है। रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में नामान्तरगण वैध है। अपीलांटस का प्रार्थना पत्र सारहीन है। अपीलांटस ने धारा 96 सीपीसी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील करने की इजाजत नहीं चाही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे तथा अपने पक्ष समर्थन में 2016 (1) डीएनजे (राज0) 201 तथा 2010 (1) आरआरटी 625 प्रस्तुत किये ।

राज0 सरकार की ओर से दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 05.06.1981 के संबंध में तहसीलदार मलसीसर द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की उभय पक्ष पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया । हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य पैत्रिक भूमि में हक हिस्से को लेकर विवाद है। प्रकरण का निस्तारण मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अपीलांट का कथन कि विवादित नामांतरकरण की उनको पहले कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषकगण की बहस से प्रकरण में मैरिट प्रतीत होती है और कानून जहां मैरिट हो वहां देरी कोई मायने नहीं रखती । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं हस्तगत

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

प्रकरण के तथ्यों में काफी भिन्नता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य होने से, स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के संलग्न रहे।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू